न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2013
प्रविष्टि दिनांक 08.04.2013

सरकार जरिये तहसीलदार पीपलू जिला टोंक राज0 .....प्रार्थी

बनाम

1–श्योजी पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तहसील पीपलू जिला टोंक
2–सीताराम पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तहसील पीपलू जिला टोंक
3–नानू पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तहसील पीपलू जिला टोंक
4–राजना पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तहसील पीपलू जिला टोंक
5–बच्ची पत्नि पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तहसील पीपलू जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक 06.02.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.10.1977 को प्रतिपक्षीगण के पिता व पति कल्याण को आ0ख0नं0 444 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम हमीरिया तहसील टोंक हाल पीपलू मे आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया है कि आवंटी कल्याण पुत्र कालू जाति गुर्जर ने आवंटन दिनांक 10.10.1977 से लेकर जब तक वो जीवित रहा कभी भी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त नही की है। आवंटी ने आवंटन नियमो का उलघंन किया है,क्योकि आवंटी भूमि का प्रयोग आज तक आवंटन के उद्देश्य के अनुरूप कृषि प्रयोजनार्थ नही किया गया है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

आवंटी के वारिसान है,जिन्होने भी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त नही की है। अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है,उक्त भूमि शुरू से लेकर आज तक पडत पडी हुई है। आवंटित भूमि का आज तक राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदारी तथा खातेदारी का अमल नही हुआ है। आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। अत आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाबी बहस मे कथन किया कि भू– आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण पिता व पति को आ0ख0न0 444 मे रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम हमीरिया मे नियमानुसार आवंटन की गई है। खसरा परिर्वतनशील सम्वत 2032 मे प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर पर जोत,बाजरा व ज्वार,मूंगफली,तारामीरा व ग्वार तथा सम्वत 2045 मे तिल व सरसो की फसल काश्त की है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। अप्रार्थीगणा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। अत: प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थीगण के पिता व पति कल्याण पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी हमीरिया को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 10.10.1977 को केम्प लोहरवाडा मे ख0न0 444 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम हमीरिया मे आवटन किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता को दिनांक 10.10.1977 को आवटन किया गया है एंव सम्वत 2045 में ग्वार,बाजरा व मूंगफली की काश्त की गई है,जो लगभग 12 वर्ष बाद काश्त की गई है। आवंटी ने आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की है। आवंटन नियमो की शर्तों के अनुसार आवंटी को आवटन के पश्चात प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत हिस्से पर तथा द्वितीय वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त किया जाना आवश्यक था। आवंटी ने आवण्टित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ कभी उपयोग में नहीं ली। यदि आवंटी ने उक्त भूमि का नियमानुसार उपयोग किया होता तो वह पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी प्राप्त करने का हकदार था। वर्तमान मे आवंटित भूमि सिवायचक है।ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलत: तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पिता व पति कल्याण पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तहसील टोंक हाल पीपलू को दिनांक 10.10.1977 को ग्राम हमीरिया के आराजी खसरा नम्बर 444 में रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते